एमएमटीसी लिमिटेड : कारपोरेट कार्यालय : नई दिल्ली

(सीआईएन: L51909DLI963GOI004033)

पार्टी संबंधी लेनदेन - पालिसी तथा प्रक्रिया, 2014

(प्रभावी तारीख 01, 2014)

I. प्रस्तावना

एमएमटीसी लिमिटेड(दि ''कंपनी'' अथवा ''एमएमटीसी'') ने नीचे परिभाषित के अनुसार पार्टी संबंधित लेनदेन के लिए निम्नलिखित पालिसी तथा प्रक्रियाओं को अपनाया है। कंपनी ने ऐसा कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 188 तथा इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों तथा तत्पश्चात किए गए संशोधनों (दि ''एक्ट'', आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक 18 तथा स्टाक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के क्लॉज 49 की अपेक्षाओं के अनुपालन में किया है ताकि इस प्रकार के लेनदेन में पारदर्शिता लाई जा सके और इसे विनियमित किया जा सके। निदेशकों की आडिट कमेटी को अधिकार है कि वह इस पालिसी की समय-समय पर समीक्षा कर इसमें संशोधन कर सके।

II. उद्देश्य

इस पालिसी का उद्देश्य कंपनी तथा इसकी किसी भी संबंधित पार्टी के बीच लेनदेन का उपयुक्त अनुमोदन तथा रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है तथा कंपनी व कंपनी के स्टेकहोल्डर्स का हित सुरक्षित रहे। इस पालिसी के प्रावधानों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि मान्य कानून व नियमों के अनुसार अनुमोदन प्रक्रिया तथा डिस्क्लोजर अपेक्षाओं की पारदर्शिता को गवर्न किया जा सके जिससे कि संबंधित पार्टी लेनदेन में न्यायसंगतता सुनिश्चित हो सके। यह पालिसी कंपनी में लागू अन्य पालिसियों का हिस्सा होगी तथा यह संबंधित व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले लेनदेन पर लागू होगी।

III. परिभाषाएं

इस पालिसी के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं मान्य होंगी :

1) ''आडिट कमेटी अथवा कमेटी'' से अभिप्राय है लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों के तहत गठित की गई निदेशक मंडल की कमेटियां।
2) ''बोर्ड'' से अभिप्राय है कंपनी का निदेशक मंडल।
3) ''नियंत्रण'' में शामिल है बहुमत निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार अथवा एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अथवा संयुक्त रूप से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरहोल्डिंग की हैसियत से अथवा मैनेजमेंट के अधिकार से अथवा शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट्स

अथवा वोटिंग एग्रीमेंट्स अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त अधिकार द्वारा मैनेजमेंट अथवा पालिसी निर्णयों पर नियंत्रण।

4) "प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों में" शामिल है

(i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ii) पूर्णकालिक निदेशक

(iii) कंपनी सचिव

(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी(निदेशक(वित्त)

5) "**संबंधित पार्टी**" से अभिप्राय है लिस्टिंग एग्रीमेंट के संशोधित क्लॉज 49 में परिभाषित संबंधित पार्टी जो इस प्रकार है :

(1) कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 2(76) के अधीन संबंधित पार्टी निम्नलिखित एंटिटी होगी :

(i) एक निदेशक अथवा उनका संबंधी ;

(ii) एक प्रबंधकीय कार्यपालक अथवा उनका संबंधी ;

(iii) एक फर्म, जिसमें एक निदेशक, मैनेजर अथवा उनका संबंधी पार्टनर है ;

(iv) एक प्राइवेट कंपनी जिसमें एक निदेशक अथवा मैनेजर एक सदस्य अथवा निदेशक है ;

(v) एक पब्लिक कंपनी जिसमें एक निदेशक अथवा मैनेजर एक निदेशक है जिनका उस कंपनी में उनके संबंधियों सहित कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल में दो प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी है ;

(vi) कोई भी कारपोरेट बॉडी जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक अथवा मैनेजर जिसे निदेशक अथवा मैनेजर की सलाह, निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुसार कार्य करना होता है ;

(vii) ऐसा व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुसार निदेशक अथवा मैनेजर को कार्य करना होता है ;

परंतु सब क्लाजेज (vi) तथा (vii) में दिए गए प्रावधान पेशेवर की हैसियत से दी गई सलाह, निर्देशों तथा अनुदेशों के मामले में लागू नहीं होंगे ;

(viii) ऐसी कंपनी जो :

(1) कंपनी की होल्डिंग, सहायक अथवा असोसिएट कंपनी ;

(2) एक होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी जिसकी यह भी सहायक कंपनी है;

(ix) होल्डिंग कंपनी का एक निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी अथवा उनके संबंधी को संबंधित पार्टी माना जाएगा ;

(2) मान्य अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ऐसी एंटिटी संबंधित पार्टी होगी जो :

एएस-18 के अनुसार पार्टियां संबंधित पार्टी मानी जाएगी यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी समय एक पार्टी की दूसरी पार्टी पर वित्तीय तथा/अथवा परिचालन निर्णयों में नियंत्रण की क्षमता है अथवा अन्य पार्टी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की योग्यता है, चाहे यह प्रत्यक्ष रूप से हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ;

6) **"संबंधी"** से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति है जो नीचे दिए गए में से किसी भी रूप में दूसरे से संबंधित है यदि :
   (i) वे हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं ;
   (ii) वे पति तथा पत्नी हैं ;
   (iii) यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निम्नलिखित रूप से जुड़ा है :
      i. पिता (सौतेले पिता सहित) ;
      ii. माता(सौतेली माता सहित) ;
      iii. पुत्र(सौतेले पुत्रसहित) ;
      iv. पुत्र वधू ;
      v. पुत्री ;
      vi. पुत्री के पति ;
      vii. भाई(सौतेले भाई सहित) ;
      viii. बहन(सौतेली बहन सहित) ;

7. **संबद्ध पार्टी लेन-देन:** कंपनी और इसकी संबंद्ध पार्टियां जो निम्नलिखित में से एक या अधिक शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, के बीच लेनदेन/संविदा/व्यवस्था

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के उद्देश्य के लिए :-

(क) किसी भी माल या सामग्री की बिक्री, खरीद की आपूर्ति ।

(ख) किसी भी प्रकार की परिसंपति की बिक्री या अन्यथा बेचना या खरीदना

(ग) किसी भी प्रकार की परिसंपति को लीज पर देना

(घ) किसी भी प्रकार सेवा लेना या देना

(ङ) माल, सामान, सेवाएं या परिसंपति की खरीद या बिक्री के लिए एजेंट की नियुक्ति

(च) ऐसी संबद्ध पार्टी की कंपनी या इसकी सहायक कंपनी या एसोसिएट कंपनी के किसी कार्यालय या लाभ केन्द्र में नियुक्ति और

(छ) कंपनी की प्रतिभूति या इसमें उत्पन्न कोई भी अंशदान को बट्टे खाते में डालना ।

सूचीयन करार(लिस्टिंग एग्रीमेंट) और एएस-18 के खंड 49 के उद्देश्य के लिए

कंपनी या इससे संबद्ध पार्टी के बीच स्रोतों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण इस बात को ध्यान दिए बिना कि इस पर कोई मूल्य प्रभारित किया गया है ।

"स्पष्टीकरण" : संबद्ध पार्टी के साथ एक 'लेन देन' को संविदा में एकल लेनदेन या लेन-देनों के समूह में शामिल माना जाएगा ।

8. "**सामग्री से संबद्ध लेन-देन":** सूचीयन करार के खंड 49(vii) (सी) के उद्देश्य से अभिप्राय उन लेन-देनों से है जो वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के साथ संबद्ध पार्टियों के साथ व्यक्तिगत रूप से या पिछले लेन-देनों के लिए किए गए है। इसमें वे लेन-देन शामिल हैं जो कंपनी पिछले अंकेक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार से 10 प्रतिशत अधिक है ।

9. **आर्मस लेंथ् आधार पर लेन-देन** से अभिप्राय दो संबद्ध पार्टियों के बीच उस लेन-देन से है जो इस तरह किए गए हैं मानों उनमें कोई संबंध नहीं है ताकि इसके हितों को लेकर कोई विवाद न हो ।

10. अन्य कंपनी के संबंध में ''**एसोसिएट कंपनी**'' से अभिप्राय उस कंपनी से है जिसका अन्य कंपनी में महत्वपूर्ण प्रभाव हो लेकिन कंपनी की ऐसी सहायक कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसमें उसका प्रभाव हो । इसमें संयुक्त उपक्रम की कंपनी शामिल है।

स्पष्टीकरण : ''महत्वपूर्ण प्रभाव'' से अभिप्राय शेयरपूंजी पर कम से कम बीस प्रतिशत नियंत्रण हो या करार के अंतर्गत व्यापार संबंधी निर्णय ले सके ।

कुल शेयर पूंजी से अभिप्राय प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और परिवर्तनीय अधिमानी शेयर पूंजी के कुल भाग से है।

11. ''संयुक्त उपक्रम' एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से दो या अधिक पार्टियां संयुक्त नियंत्रण के द्वारा आर्थिक कार्यकलाप करते हैं।

IV) <u>प्रक्रियाएं</u>

संबद्ध पार्टी के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सूचना आवश्यक हैं:

निम्नलिखित विवरण आवश्यक होगा:

1. सभी निदेशकों द्वारा हित की घोषणा/प्रकटीकरण और फार्म एमबीपी 1(अनुलग्नक-I) में एमपीएस ।
2. सभी निदेशकों द्वारा संबंधियों की घोषणा और 'केएमपीएस'
3. उस फर्म की घोषणा जिसका वह निदेशक, प्रबंधक या उनका संबंधी उसका साझेदार है।
4. प्राईवेट कंपनी, जिसमें निदेशक या प्रबंधक सदस्य या निदेशक है, की घोषणा।
5. सार्वजनिक कंपनी जिसमें निदेशक या प्रबंधक इसका निदेशक है और उसमें उसके संबंधी सहित 2 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त शेयर पूंजी की होल्डिंग है।
6. वर्ष के दौरान डायरेक्टरशिप या अन्य पद पर किसी परिवर्तन के लिए निदेशकों से नोटिस
7. किसी कारपोरेट बाडी का विवरण जिसमें निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक कंपनी के निदेशक या प्रबंधक के परामर्श, निर्देशन या अनुदेश के अनुसार कार्य करने का आदी होता है।
8. उस व्यक्ति का विवरण जो परामर्श, निर्देशन या निर्देश पर एक निदेशक या प्रबंधक का कार्य करने का आदी है।

   बशर्ते प्रफेशनल केपेसिटी में दिए गए परामर्श, निर्देशन या निर्देश लागू नहीं होंगे।

9. ऐसी किसी कंपनी के बारे में सूचना जो
   (क) ऐसी कंपनी की होल्डिंग, सदस्य या एक एसोसिएट कंपनी है, या
   (ख) होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी जिसकी भी एक सहायक कंपनी है।

संभावित संबद्ध पार्टी लेन-देनों की पहचान

बोर्ड सचिवालय हर समय कंपनी की संबद्ध पार्टियों का एक डेटा बेस रखेगा जिसमें व्यक्तिगत या कंपनी का नाम, जिनकी पहचान उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर की जायेगी। इसके साथ-साथ उनके व्यक्तिगत/कंपनी के बारे में सूचना जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव शामिल हो। संबद्ध पार्टी सूची को जरूरत पडने पर अद्यतन किया जाएगा और पहली अप्रैल को प्रतिवर्ष कम से कम वर्ष में एक बार इसकी समीक्षा की जाएगी।

बोर्ड सचिवालय संबद्ध पार्टी सूची को एकत्र, समन्वय और एमएमटीसी इंटानेट पर प्रदर्शित करेगा और सीएमडी/निदेशकों को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेगा ताकि संबंधित प्रभाग किसी संबद्ध

पार्टी के साथ किए गए लेन-देन के संबंध में आवश्यक अनुमोदन की अपेक्षाओं के संबंध में अनुपालन कर सके।

संबद्ध पार्टी लेन-देन की समीक्षा और अनुमोदन

(क) सूचीयन करार के खंड 49 (vii) के अंतर्गत

क) **आडिट कमेटी का पूर्व अनुमोदन** : सभी संबद्ध पार्टी लेन-देन के लिए निदेशकों की आडिट कमेटी का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। तथापि आडिट कमेटी निम्नलिखित शर्तों पर कंपनी द्वारा प्रस्तावित संबद्ध पार्टी लेन-देनों के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन प्रदान कर सकती है।

i. आडिट कमेटी कंपनी के संबंधित पार्टी लेनदेन पालिसी के अनुरूप बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करेगी तथा इस प्रकार का अनुमोदन उन सभी लेनदेन पर लागू होगा जो बार-बार होने की प्रकृति के हैं।

ii. आडिट कमेटी इस प्रकार के बहुप्रयोजनीय अनुमोदन की आवश्यकता से अपने को संतुष्ट करेगी तथा यह देखेगी कि इस प्रकार का अनुमोदन कंपनी के हित में है।

iii. इस प्रकार के बहुप्रयोजनीय अनुमोदन में उल्लेख किया जाएगा (i) संबन्धित पार्टी का नाम, लेनदेन की प्रकृति, लेनदेन की अवधि, लेनदेन की अधिकतम राशि जिसकी प्रविष्टि की जा सकती है, (ii) संकेतक आधार मूल्य/ठेके के चालू मूल्य यदि कोई है, तथा (iii) ऐसी दूसरी शर्तें जिनको आडिट कमेटी उचित समझे ;

यदि संबंधित पार्टी लेनदेन की संभावना न हो तथा उपरोक्त विवरण उपलब्ध न हों, आडिट कमेटी इस प्रकार के लेनदेन को बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्रदान कर सकती है बशर्ते इस प्रकार के लेनदेन का प्रति लेनदेन का मूल्य 1 करोड़ रूपए से अधिक न हो।

iv. आडिट कमेटी प्रदान किए गए प्रति बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अनुपालन में कंपनी द्वारा प्रविष्ट किए गए पार्टी संबंधी लेनदेन के विवरणों की कम से कम तिमाही आधार पर समीक्षा करेगी ।

v. इस तरह का बहुप्रयोजनीय अनुमोदन अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा तथा एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात फिर से अनुमोदन लेना होगा।

जिस बैठक में ऐसा आइटम प्रस्तावित होगा आडिट कमेटी के उस एजेंडा में निम्नलिखित सूचना देनी होगी :

ए. संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंधों की प्रकृति;

बी. संविदा या समझौता की अवधि, प्रकृति तथा विवरण;

सी. संविदा या व्यवस्था की मूल्य सहित महत्वपूर्ण शर्तें, यदि कोई है तो;

डी. संविदा अथवा व्यवस्था के लिए भुगतान की गई अथवा प्राप्त की गई कोई राशि,यदि है तो ;

ई. मूल्य तथा अन्य कमर्शियल शर्तों के निर्धारण का तरीका, दोनों को संविदा के भाग के रूप में शामिल किया जाए तथा संविदा के भाग के रूप में विचार में न लिया जाए;

एफ. क्या संविदा के सभी संबंधित कारकों को विचार में लिया गया है, यदि नहीं तो उन कारकों के प्रासंगिक न होने के औचित्य के विवरण दें ; तथा

जी. प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय लेने के लिए आडिट कमेटी के लिए अन्य संबंधित अथवा महत्वपूर्ण सूचना।

ब) शेयरधारकों का अनुमोदन: पार्टी संबंधी सभी महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए विशेष प्रस्तावों के माध्यम से शेयरहोल्डर्स का अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा संबंधित पार्टियां इस प्रकार के प्रस्तावों की वोटिंग में भाग नहीं लेंगे ।

निम्नलिखित मामलों में आडिट कमेटी/शेयरहोल्डर्स का अनुमोदन नहीं लेना होगा:

(i) दो सरकारी कंपनियों के बीच होने वाले लेनदेन ;

(ii) कंपनी तथा इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिसके लेखों को होल्डिंग कंपनी के लेखों में समेकित किया जाता है तथा उन्हें आम बैठक में शेयरहोल्डर्स के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, के बीच होने वाले लेनदेन ।

व्याख्या: अनुच्छेद 49 (vii) के प्रयोजन के लिए, संबन्धित पार्टियों की प्रविष्टि हेतु दिये गए कंपनी की संस्था की परिभाषा में शामिल विशेष आहरण चाहे वह संस्था पार्टी का हो या नहीं वोटिंग से अलग रहेगा।

(ब) कंपनी एक्ट 2013 की धारा 188 के अंतर्गत

(क) निदेशक मण्डल का पूर्व अनुमोदन: सभी संविदाओं/व्यवस्थाओं/आहरण के लिए किए जाने वाले प्रस्ताव ओं पर बोर्ड मीटिंग में मंजूरी लेना जरूरी है।

(i) जो व्यापार का सामान्य प्रणाली न हो या

(ii) जो व्यापार की सामान्य प्रणाली हो लेकिन उचित दूरी पर होना चाहिए।

बोर्ड मीटिंग का एजेंडा जिसमें प्रस्ताव को रखना प्रस्तावित है का विवरण नीचे दिया गया है।

(a) संबन्धित पार्टी का नाम और सम्बन्धों की स्थिति

(b) संविदा की प्रकृति, अवधि तथा संविदा या व्यवस्था का विवरण

(c) मूल्य सहित व्यवस्था या संविदा की भौतिक सामाग्री, यदि कोई हो तो;

(d) संविदा या व्यवस्था के लिए प्राप्त या देय अग्रिम राशि, यदि कोई हो तो;

(e) कीमत निर्धारण के अन्य व्यापारिक शब्दावली निर्धारण की रीति, संविदा का अंश समझा गया हो या संविदा का अंश न समझा गया हो दोनों।

(f) कि संविदा के सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार किया जा चुका हों, यदि नहीं, उन कारकों का विवरण जिस वजह से मूल कारणों पर विचार नहीं किया गया; और

(g) बोर्ड के लिए कोई अन्य प्रासंगिक या महत्वपूर्ण सूचना जो संभावित आहरण पर निर्णय लेना हो।

संबन्धित पार्टी द्वारा मुहैया कराई गयी कोई भी निविदा जिसमें किसी निदेशक ने रुचि लिया हो, को मीटिंग में आइटम संबन्धित चर्चा के दौरान वहाँ उपस्थित नहीं होना चाहिए।

(B) **शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन**: बिक्री, क्रय या आपूर्ति के लिए मूल्य आहरण की स्थिति में कोई सामान या उपकरण जो कुल टर्नओवर प्रति वितीय लेखा विवरण से 10 प्रतिशत ज्यादा हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में या रूपये 100 करोड़ या किसी दूसरे मूल्य के आहरण जिसमें 50 करोड़ का सेवा कर हो या इनमें से जो कम हो। या तो व्यक्तिगत रूप से लिया गया हो या पिछले वर्ष में कंपनी के अनुमोदन द्वारा किए गए आहरण के साथ किया गया हो। अत:, शेयरधरकों से अनुमति लेने से पहले बोर्ड का अनुमोदन लेना पड़ता है। कंपनी का कोई भी सदस्य ऐसे किसी भी विशेष प्रस्ताव पर वोट नहीं करेगा जिसमें किसी ठेके अथवा व्यवस्था का अनुमोदन प्राप्त करना हो जिसके लिए कंपनी करना चाहती हो, यदि वह सदस्य संबंधित पार्टी हो। इसके अलावा, धारा 101 के अनुपालन में बुलाई जाने वाली आम बैठक के नोटिस के साथ संलग्न किए जाने वाले स्पष्टीकरण विवरण में निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे :

ए. संबंधित पार्टी का नाम ;

बी. संबंधित निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी का नाम, यदि कोई हो तो;

सी. संबंध की प्रकृति ;

डी. संविदा अथवा व्यवस्था(अरेंजमैंट) की प्रकृति, वास्तविक शर्तें, मौद्रिक मूल्य एवं विवरण।

इ. प्रस्तावित प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु सदस्यों के लिए कोई अन्य प्रासंगिक अथवा महत्वपूर्ण सूचना।

संबंधित पार्टी के साथ किए जाने वाले सभी लेन-देन व्यापार के सामान्य रूप तथा आर्म्स लैंथ आधार पर किए जाएगें। अपवाद के मामलों में जहां व्यापारिक लेन-देन आर्म्स लैंथ आधार पर नहीं किए जाते तथा कंपनी के हित में किए जाने आवश्यक हैं उन मामलों में जैसा कि नीति में निहित है एसीडी/निदेशक मंडल/शेयरधारकों का यथा लागू अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। प्रस्तावित लेन-देन की शर्तों व अनुबंधों पर विचार करने के पश्चात निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (विपणन) द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा कि लेन-देन आर्म्स लैंथ पर है अथवा नहीं। आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा संपूर्ण दस्तावेजीकरण की जांच की जाएगी तथा इसका प्रमाणन भी किया जाएगा।

संबंधित पार्टी लेन देन विवरण

लेखा परीक्षा समिति द्वारा अपनी त्रैमासिक बैठक में पुनरीक्षा के लिए वित्त व लेखा विभाग संबंधित पार्टी के साथ किए गए लेन देन का सारांश नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा।

पहले अनुमोदित न किए गए संबंधित पार्टी लेन-देन

निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा जहां आवश्यक हो आम बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन प्रापत किए बिना यदि कंपनी के निदेशक अथवा किसी अन्य कर्मचारी द्वारा संविदा अथवा व्यवस्था की जाती है तथा उक्त संविदा अथवा व्यवस्था किए जाने की तिथि से तीन माह केा भीतर यदि निदेशक मंडल या जैसा भी मामला हो, बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसकी अभिपुष्टि नहीं की गई है तो निदेशक मण्डल के विकल्प पर उक्त संविदा अथवा व्यवस्था अमान्य होगी तथा यदि संबंधित पार्टी के साथ किसी निदेशक या किसी अन्य निदेशक द्वारा संविदा अथवा व्यवस्था की गई है तो संबंधित निदेशक, इसमें हुई हानि के प्रति कंपनी को क्षतिपूर्ति करेगा।

उक्त संविदा अथवा व्यवस्था किए जाने के परिणामस्वरूप निगम हो हुई हानि की वसूली के लिए इस नीति के विरूद्ध उक्त संविदा अथवा व्यवस्था करने वाले निदेशक अथवा किसी अन्य कर्मचारी के विरूद्ध निगम द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

V. <u>प्रकटन</u>

1. निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में संविदा(ओं) अथवा व्यवस्था(ओं) के साथ-साथ इनके औचित्य का भी प्रकटन प्रपत्र एओसी-2 के अनुसार करना होगा। (इसकी पुनरीक्षा के लिए उक्त फार्म को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा तथा इसके पश्चात निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग के रूप में निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करना होगा) बोर्ड सचिवालय समय रहते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

2. एओसी-4 फार्म (अनुलग्नक-।।।), अर्थात पंजीयक के पास वित्तीय विवरण एवं अन्य दस्तावेजों को भ्ररना, फाईल करते समय निगम के बोर्ड सचिवालय विभाग द्वारा निर्धारित फार्म में एओसी-4 के खण्ड-घ में संबंधित पार्टी के लेन-देन के विषय में प्रकटन किया जाएगा।

3. निगम का बोर्ड सचिवालय भाग फार्म एमबीपी 4 (अनुलग्नक iv) (धारा 189 (1) तथा निगम 16 (1) के अनुरूप) में एक रजिस्टर बनाएगा जिसमें सभी संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के विवरण इस प्रकार से होंगे जिनमें संपूर्ण विवरण होंगे। विवरणों की प्रविष्टियां करने के पश्चात निदेशक (वित्त) एवं कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा इनका प्रमाणीकरण किया जाएगा। तत्पश्चात इसे निदेशक मंडल की अगली बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएगें।

4. एएस-18 के अंतर्गत अपेक्षित आवयक प्रकटनों को वार्षिक वित्तीय विवरणों में भी दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्धकरण करार की धारा 49 के अंतर्गत जैसा अपेक्षित है, वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी के लेन-देन, जो तदन्तर में संभवत: निगम के हितों के विरूद्ध हो सकते हैं, के आवश्यक विवरणों को भी वार्षिक रिपोर्ट के ''कारपोरेट गर्वनेंस पर रिपोर्ट'' सेक्शन में दर्शाया जाएगा।

5. निगम के बोर्ड सचिवालय विभाग द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ-साथ संबंधित पार्टियों के साथ किए गए सभी वास्तविक लेन-देनों के विवरणों का त्रैमासिक रूप से प्रकटन किया जाएगा।

6. निगम द्वारा अपनी वेबसाइट पर संबंधित पार्टी लेन-देन के व्यवहार पर नीति कर प्रकटन करने के साथ-साथ इसके वेब लिंक को भी वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा।

उपरोक्त में विशेष रूप से डील न किए गए मामलों के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 के अद्यतन प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं स्टॉक एक्सचेजों के साथ निगम द्वारा किए गए सूचीबद्धकरण करार के प्रावधानों सहित विषय पर सेबी/सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा निर्देश लागू होंगे।

****

अनुलग्नक-1

फार्म एमबीपी-1

निदेशक द्वारा रूचि की सूचना

[धारा 184(1) तथा नियम 9(1ई)]

सेवा में
निदेशक मण्डल
(एमएमटीसी लिमिटेड)

महोदय,

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री ...., निवासी.., कंपनी के निदेशक की हैसियत से निम्नलिखित कंपनी अथवा कंपनियों, कारपोरेशन समुह, फर्म अथवा अन्य व्यक्तियों के संघ इसके द्वारा अपनी रूचि अथवा हितों की सूचना देता हूँ।

क्रं. सं.	कंपनियों/समूह/कारपोरेट/ फर्म/व्यक्तियों के संघ का नाम	रूचि या हितों का प्रकार/ संबंधित में रूचि अथवा हितों में परिवर्तन	शेयरहोल्डिंग	तारीख जिस को संबंधित में हुई रूचि में परिवर्तन हुआ

हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

एमडी/निदेशक/सचिव/
पूर्णकालिक निदेशक

अनुलग्नक-II

फार्म नं. एओसी-2

करारों का विवरण/कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) के संदर्भ में जिसमें कुछ निर्धारित थर्ड प्रोवाईजो के तहत आर्मस लैंथ ट्रांजैक्शन भी शामिल है, का स्पष्टीकरण

(अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) की क्लॉज (एच) तथा कम्पनीज (अकाउण्टस) नियम 2014 के नियम (8) के अनुसरण में)

1. उन करारों अथवा व्यस्थाओं अथवा लेन-देन का विवरण जो आर्मस लैंथ आधार पर नहीं है।
   - क. संबंधित पार्टी का नाम तथा उसके साथ संबंध की प्रकृति
   - ख. करार/व्यवस्था/लेन-देन की प्रकृति
   - ग. करार/व्यवस्था/लेन-देन की अवधि
   - घ. मूल्य सहित, यदि है तो, करार/व्यवस्था/लेन-देन की मुख्य विशेषताएं
   - ङ. इस प्रकार के करार/व्यवस्था/लेन-देन का औचित्य
   - च. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि
   - छ. अग्रिम के रूप में भुगतान की गइ्र राशि, यदि है तो-
   - ज. अधिनियम की धारा 188 के फर्स्ट प्रोवाईजो के अनुसार आवश्यक आम सभा में पास किए गए विशेष संकल्प की तारीख

2. उन महत्वपूर्ण ठेके अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन-देन का विवरण जो आर्मस लैंथ आधार पर नहीं है।
   - क. संबंधित पार्टियों का नाम तथा उनके साथ संबंध की प्रकृति
   - ख. करार/व्यवस्था/लेन देन की प्रकृति
   - ग. करार/व्यवस्था/लेन देन की अवधि
   - घ. मूल्य सहित, यदि है तो, करार/व्यवस्था/लेन-देन की मुख्य विशेषताएं
   - ङ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि
   - च. अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कुछ है तो ।
   - छ. अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कुछ है तो।

अनुलग्नक-III

फार्म नं. एओसी-4

रजिस्ट्रार के कार्यालय में वित्तीय विवरण तथा अन्य दस्तावेज जमा कराने का फार्म

सेगमेंनट डी- संबंधित पार्टी लेने देन का प्रकटन

1. आर्मस लैंथ आधार पर न किए गए करार या व्यवस्था या लेन-देन का विवरण
   (ए) संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति
   (बी) करार/व्यवस्था/लेन-देन की प्रकृति
   (सी) करार/व्यवस्था/लेन-देन की अवधि
   (डी) मूल्य सहित यदि है तो, करार या व्यवस्था या लेन-देन की मुख्य शर्तें
   (इ) इस प्रकार के करार या व्यवस्था या लेन देन का न्यायअधिकार
   (एफ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि
   (जी) अग्रिम के रूप में किया गया भुगतान। यदि कुछ है तो
   (एच) प्रथम प्रोविजो के सैक्शन 188 के तहत आवश्यक तिथि जिसको आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया।

2. आर्मस लैंथ आधार पर गए करार या व्यवस्था या लेन देन का विवरण
   (ए) संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति
   (बी) करार/व्यवस्था/लेन-देन की प्रकृति
   (सी) करार/व्यवस्था/लेन-देन की अवधि
   (डी) मूल्य सहित यदि है तो, करार या व्यवस्था या लेन-देन की मुख्य शर्तें
   (इ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि है तो
   (एफ) अग्रिम के रूप में किया गया भुगतान की गई राशि, यदि है तो।